

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं०सं०-17/विविध 1-140/2025

पटना, दिनांक- / / 2025

आदेश

डा० विवेक कुमार, सह-प्राध्यापक, कान, नाक एवं गला विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को वित्त विभागीय पत्रांक-9889/वि० दिनांक-01.12.2015 के कंडिका-(2) एवं (3) के आलोक में दिनांक-09.08.2025 से 23.08.2025 (कुल 15 दिन) तक की अवधि में अपने द्वितीय संतान हेतु पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

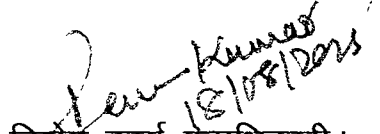
ज्ञापांक :-17/विविध 1-140/2025-924(17) पटना, दिनांक :-18/08/2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०); बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० विवेक कुमार, सह-प्राध्यापक, कान, नाक एवं गला विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।